



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उOप्रO लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2026

**विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत जनपद बाराबंकी के 03 मार्ग के चालू कार्य पर अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मुO-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत जनपद बाराबंकी के 03 मार्ग के चालू कार्य हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-12 के अनुसार कुल ₹0 1,00,96,000/- (रुपये एक करोड़ छियानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (धनराशि ₹0 लाख में)

| क्रO संO | मुख्य अभियन्ता मुO-1 (1, लोOनविO, लखनऊ के पत्र)   | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम                                                                                   | स्वीकृति का शासनादेश संख्या                               | स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति | बचत  | बचत की उपरांत कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अनुरक्षण की धनराशि | प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष | वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                 | 4                                                                                              | 5                                                         | 6                                | 7    | 8                           | 9           | 10                 | 11                                  | 12                                      |
| 1        | 24416/CE - HQ1/CM GSY/ADY /2026-27 Dt- 19-08-2026 | नि.ख.-1 बाराबंकी  | अधर्जुनपुरवा सम्पर्क मार्ग से वनपुरवा चकमडौली प्राOविO तक सम्पर्क मार्ग                        | 205/2025/15 81/004-23-9002-002/35/2025 -दिनांक-13-11-2025 | 81.99 / 81.99                    | 8.20 | 73.79                       | 56.01       | 5.55               | 12.23                               | 4.85                                    |
| 2        | 24416/CE - HQ1/CM GSY/ADY /2026-27 Dt- 19-08-2026 | प्रा.ख. बाराबंकी  | पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सराय बनपुकार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।                     | 205/2025/15 81/004-23-9002-002/35/2025 -दिनांक-13-11-2025 | 72.29 / 72.29                    | 7.00 | 65.29                       | 20.22       | 4.90               | 40.17                               | 40.17                                   |
| 3        | 24416/CE - HQ1/CM GSY/ADY /2026-27 Dt- 19-08-2026 | प्रा.ख. बाराबंकी  | दहिला पोखर मार्ग से ककरिहा वाया सम्भरखेर पूरे तेलिन पूरे रंजीत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 205/2025/15 81/004-23-9002-002/35/2025 -दिनांक-13-11-2025 | 101.40 / 101.40                  | 0.10 | 101.30                      | 28.36       | 6.87               | 66.07                               | 55.94                                   |
|          |                                                   |                   |                                                                                                |                                                           |                                  |      |                             |             |                    | योग                                 | 100.96                                  |

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजना के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (3) ) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
- (7) उक्त परियोजनाओं हेतु यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को चालू कार्यों के भुगतान के साथ व्यय नहीं किया जाएगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,96,000 ( रुपये एक करोड़ छियानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371356** मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु व्यवस्था **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
राजेश प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0 प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, 30प्र0शासन ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
राजेश प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।